अनुदान संख्या 33 - वित्तीय सेवाएं विभाग
GRANT No. 33 - DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	8535,23,00		8535,26,00	7265,10,17	-1270,15,83
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1268,64,61
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	15902,01,00		15902,02,00	14652,65,73	-1249,36,27
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1249,36,24

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat – General Services				
मू.	O.	1507.00	1873.40	1864.99	- 8.41
पु.	R.	366.40			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "2047" अन्य वित्तीय सेवाएं	Major Head "2047" Other Fiscal Services				
मू.	O.	823.00	610.47	604.75	-5.72
पु.	R.	-212.53			
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	8112.00	7670.84	7536.44	-134.40
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-442.16			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	57729.00	36146.00	36146.00	..
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-21584.00			
मुख्य शीर्ष "2416" कृषि वित्तीय संस्थाएं	Major Head "2416" Agricultural Financial Institutions				
मू.	O.	675001.00	540000.50	540000.00	-0.50
पु.	R.	-135000.50			
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	40890.00	70888.80	70888.29	-0.51
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	29997.80			

(I) ₹75005.00 लाख का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹75001.00 लाख मुख्य शीर्ष "2416" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को अनुदान" - ₹20001.00 लाख ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक दूसरे से ओवरलैप करती स्कीमों के दो घटकों को निधियन न किए जाने के कारण थे।

(खा) "नाबार्ड को वित्तीय समावेश निधि के गठन के लिए सरकार के अंशदान के लिए अदायगी" - ₹2000.00 लाख; और

(गा) "नाबार्ड को वित्तीय समावेश प्रौद्योगिकी निधि के गठन के लिए सरकार के अंशदान के लिए अदायगी" - ₹3000.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा अंशदान की आवश्यकता न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घा) "दीर्घकालिक सहकारिता ऋण संरचना का पुन: प्रवर्तन" - ₹50000.00 लाख स्कीम अनुवीक्षणाधीन होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2047" - "अन्य व्यय - विशेष न्यायालयों का कार्यान्वयन (प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित अपराधों का मुकदमा) अधिनियम, 1992" - ₹218.25 लाख की बचत (₹823.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2070" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) Provision of ₹75005.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these ₹75001.00 lakhs accounted for under Major Head "2416"- "Other Expenditure" - under the following heads:-

(A) "Grants to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)"- ₹20001.00 lakhs - due to non-funding of two components of the scheme which were overlapping with another scheme under Ministry of Rural Development.

(B) "Payment to NABARD towards Government's contribution for constitution of Financial Inclusion Fund (FIF)" – ₹2000.00 lakhs; and

(C) "Payment to NABARD towards Government's contribution for constitution of Financial Inclusion Technology Fund (FITF)" – ₹3000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-requirement of contribution by the NABARD.

(D) "Revival of Long Term Cooperative Credit Structure" – ₹50000.00 lakhs – due to scheme being under revision.

(II) Under Major Head "2047" – "Other Expenditure – Implementation of Special Courts (Trial of offences relating to Transaction in Securities) Act, 1992" – saving of ₹218.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹823.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) Under Major Head "2070"- "Other Expenditure"- savings occurred under the following heads:-

(का) "औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड" - ₹248.34 लाख की बचत (₹1234.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और वेतन और किराया, दरों और करों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR)"- saving of ₹248.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1234.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards salaries and rent, rates and taxes.

(खा) "पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान" - ₹679.00 लाख की बचत (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2201.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्राधिकरण के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(B) "Grants-in-aid to Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)" – saving of ₹679.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2201.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2013) was due to availability of unspent balance with the authority.

(IV) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2235"- "Other Social Security and Welfare Programmes" – savings occurred under the following heads:-

(का) "सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अंतर्गत पेंशन - असंगठित क्षेत्र के लोगों को नई पेंशन पद्धति में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी स्कीम" - ₹11559.00 लाख की बचत (₹22000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(A) "Pension under Social Security Schemes - Swavalamaban scheme to encourage people from unorganized sector to join New Pension System (NPS)"- saving of ₹11559.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22000.00 lakhs) was due to slow enrolment under the scheme.

(खा) "अन्य बीमा स्कीमें - भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सम्पोषित जनश्री बीमा योजना के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि" - ₹1751.00 लाख की बचत (दिसंबर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹17501.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को दूसरी स्कीम के साथ सम्मिलित किए जाने के कारण हुई।

(B) "Other Insurance Schemes – Social Security Fund maintained by Life Insurance Cooperation of India for Janshree Bima Yojana" – saving of ₹1751.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹17501.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2012) was due to subsuming the scheme with another scheme.

(गा) "अन्य व्यय - भारतीय जीवन बीमा निगम को वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए अदायगी" - ₹8270.00 लाख की बचत (₹18225.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय जीवन बीमा निगम को वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना के लिए कम आर्थिक सहायता दिए जाने के कारण हुई।

(C) "Other Expenditure - Payment to Life Insurance Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens"- saving of ₹8270.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18225.00 lakhs) was due to less subsidy to Life Insurance Corporation of India for pension plan for senior citizens.

(V) मुख्य शीर्ष "2416" - "अन्य व्यय - किसानों को अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता" - ₹60000.00 लाख की बचत (₹600000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजनेतर व्यय पर वित्त मंत्रालय द्वारा 10 प्रतिशत की कटौती किए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2416" - "Other Expenditure - Interest Subvention for providing Short Term Credit to Farmers" - saving of ₹60000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600000.00 lakhs) was due to 10 percent cut imposed by the Ministry of Finance on non-plan expenditure.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹29999.50 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि दिसंबर, 2012 में मुख्य शीर्ष "2885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं - अन्य व्यय - विशिष्ट परिसंपत्ति स्थिरीकरण निधि को जारी प्रतिभूतियों का मोचन" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (₹29999.50 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2012 under Major Head "2885" – "Industrial Financial Institutions - Other Expenditure – Redemption of Securities issued to Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF).

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(क) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - वित्तीय सेवाएं विभाग" - ₹357.99 लाख का अधिक व्यय (₹1507.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे जाने, कार्यालय के नवीकरण और बिजली एवं जल प्रभारों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2052" - "Secretariat – Department of Financial Services"- excess of ₹357.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1507.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts and requirement of additional funds towards renovation of office and electricity and water charges.

(ख) मुख्य शीर्ष "2070" - "अन्य व्यय - ऋण वसूली अधिकरण" - ₹384.12 लाख का अधिक व्यय (₹4425.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे जाने और किराया में बढ़ोतरी होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "2070" – "Other Expenditure – Debts Recovery Tribunals (DRTs)" – excess of ₹384.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4425.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts and upward revision of rent.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4416" कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Major Head "4416" Investments in Agricultural Financial Institutions				
मू.	O.	70000.00			
पू.	S.	1.00	153500.00	153500.00	..
पु.	R.	83499.00			
मुख्य शीर्ष "5465" सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थाओं में निवेश	Major Head "5465" Investments in General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	1458800.00	1251700.00	1251699.97	-0.03
पु.	R.	-207100.00			
मुख्य शीर्ष "6885" अन्य उद्योगों और खनिजों को कर्ज	Major Head "6885" Other Loans to Industries and Minerals				
मू.	O.	1400.00	65.76	65.76	..
पु.	R.	-1334.24			

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilised in one case.

(II) मुख्य शीर्ष "5465" - "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुन: पूंजीकरण" के अंतर्गत ₹207100.03 लाख की बचत (₹1458800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वांछित स्तर पर जोखिम (भारित) परिसंपति अनुपात के लिए टीयर-1 पूंजी बनाए रखने के लिए कम पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "5465" - "Investment in General Financial Institutions - Investment in Public Sector and Other Undertakings – Recapitalisation of Public Sector Banks" – saving of ₹207100.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1458800.00 lakhs) was due to less capital support provided by the Government to Public Sector Banks for maintaining a tier-1 Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio at desired level.

(III) मुख्य शीर्ष "6885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को

(III) Under Major Head "6885" - "Loans to Industrial Financial Institutions - Loans to Public

कर्ज - भारतीय लघु विकास बैंक को विश्व बैंक की सहायता" - ₹1334.24 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से निधि प्रवाह की कम राशि होने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Sector and Other Undertakings - World Bank Assistance to Small Industries Development Bank of India (SIDBI)"- saving of ₹1334.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to lower amount of fund flow from International Development Association.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹83499.00 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसाकि दिसंबर, 2012 में मुख्य शीर्ष "4416" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

4. The above savings were partly (₹83499.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2012 under Major Head "4416"- "Investment in Public Sector and Other Undertakings" – under the following heads: -

(I) "नाबार्ड की शेयर पूंजी के लिए अभिदान" - ₹49999.50 लाख।

(I) "Subscription to Share Capital of NABARD"- ₹49999.50 lakhs.

(II) "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुन: पूंजीकरण के लिए सरकारी शेयर का अंशदान" - ₹33499.50 लाख।

(II) "Contribution of Government's share for recapitalisation of Regional Rural Banks (RRBs)"- ₹33499.50 lakhs.